| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br>**अवतार सिंह गहलोत बनाम**<br>**लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर (शहर प्रथम), जोधपुर)**<br>सू.अ. अपील संख्या 11/2024 | न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 26/03/2024 | अपीलार्थी अवतार सिंह गहलोत निवासी चतुरावता बेरा, मगरा पूंजला, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 04..01.2024 को प्रकरण संख्या 2765/1989 दिनांक 19.12.1989 ग्राम मंडोर खसरा नं. 1880 मे से 694 वर्गगज आवासीय रूपान्तरण के पट्टे छोटुलाल पुत्र रामलाल बाह्मण के नाम से जारी पट्टे की सम्पूर्ण पत्रावली से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर (शहर प्रथम), जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।त्र<br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अति. जिला कलक्टर (शहर प्रथम), जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।<br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अति. जिला कलक्टर (शहर प्रथम), जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1582 दिनांक 29.02.2024 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपखण्ड अधिकारी (भू.रू.) जोधपुर द्वारा जारी पट्टे की जमा सूचियां जिनक्षीण होने से उपलब्ध अभिलेख शाखा में पट्टे जारी पत्रावलियों की सूची बनायी गयी जिसमें वांछित पट्टे की पत्रावली नही होना पाया गया, जिससे सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नही है। तथा प्रार्थी को उक्त सूचना के संबंध में पत्र [illegible] दिनांक 13.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया।<br>चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना की स्पष्टीकरण/संबंधित [illegible] से लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:18:23 IST
Reason: SelfAttested